लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4960 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.i

पत्रांक: BRLPS/LSBA/Prwj/162/20/688 दिनांक: 27.11.2020

प्रेषक,

राजीव कुमार सिंह, बि०प्र०से०,

प्रशासी पदाधिकारी-सह-राज्य समन्वयक।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष,

जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार।

विषय: **लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (SBM-G Phase-II) कार्यक्रम के संचालन में स्वच्छग्रहियों की भागीदारी संबंधित दिशा-निर्देश प्रेषण के संबंध में।**

महाशय / महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के प्रथम चरण (2014-2019) के अंतर्गत बिहार राज्य को 'खुले में शौच से मुक्त' (ODF) करने की दिशा में कार्य किया गया है। कार्यक्रम के द्वितीय चरण (2020-2025) के अंतर्गत ODF की स्थिरता (ODF-S) एवं ODF-प्लस फेज के अंतर्गत ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) से सम्बंधित व्यवस्थाओं को चिरस्थायी बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाना है। इस समस्त कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु जन भागीदारी एवं समुदाय का स्वामित्व बढ़ाने में कुशल एवं समर्पित स्वच्छाग्रहियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

इस उद्देश्य से SBM फेज II के अंतर्गत ODF-प्लस कार्यक्रम एवं अन्य घटकों के संचालन में स्वच्छाग्रहियों की भागीदारी सम्बंधित विस्तृत दिशा निर्देश तैयार किया गया है जो 1 दिसंबर, 2020 से प्रभावी होगा।

आशा की जाती है की प्रत्येक ग्राम और ग्राम पंचायत को पूर्ण रूपेण स्वच्छ बनाने एवं स्वच्छता के स्थायित्व को बनाये रखने के उद्देश्य से स्वच्छाग्रहियों की भागीदारी बढ़ाने में इस दिशा-निर्देश की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक: यथोक्त।

27/11/2020

(राजीव कुमार सिंह)

ज्ञापांक: BRLPS/LSBA/Prwj/162/20/688 **दिनांक:** 27.11.2020

प्रतिलिपि: सभी जिला समन्वयक/जिला सलाहकार, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी निदेशक-सह-सदस्य सचिव, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

27/11/2020

(राजीव कुमार सिंह)

SBM फेज II के अंतर्गत ODF-प्लस कार्यक्रम के संचालन में स्वच्छाग्रहियों की भागीदारी संबंधित दिशा-निर्देश

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के प्रथम चरण (2014 से 2019) के अंतर्गत बिहार राज्य को 'खुले में शौच से मुक्त' (ODF) करने की दिशा में कार्य किया गया है। कार्यक्रम के अगले चरण अर्थात द्वितीय चरण (2020 से 2025) के अंतर्गत ODF की स्थिरता (ODF-S) एवं ODF-प्लस फेज की शुरुआत की जा रही है।

ODF-प्लस वह ग्राम है जो सर्वप्रथम, 'खुले में शौच से मुक्त' है । इसके साथ ही, जिस ग्राम में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की एक व्यवस्था है एवं जो ग्राम देखने में साफ-सुथरा है । इसके अंतर्गत, ग्राम के सभी घरों, विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र में शौचालय की उपलबध्ता एवं कम से कम 80% घरों के ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था शामिल है ।

इस चरण में ODF को स्थायित्व प्रदान करने एवं ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) से सम्बंधित व्यवस्थाओं को चिरस्थायी बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाना है। विदित हो कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में समुदाय संचालित सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम (CLTS) के द्वारा जन-भागीदारी बढ़ाने में स्वच्छाग्रही की अहम भूमिका रही है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण के अंतर्गत ODF-S एवं ODF-प्लस कार्यक्रम को भी सफल बनाने के लिए हर पंचायत में समर्पित एवं कुशल स्वच्छाग्रहियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

स्वच्छाग्रही कोई पद नहीं है वरन् पूर्ण रूप से एक स्वैच्छिक कार्य है तथा स्वच्छाग्रही एक स्वयंसेवक हैं जो किसी भी पृष्ठभूमि से आ सकते हैं जैसे स्थानीय जीविका स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ, ASHA कार्यकर्ता, ANM, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, युवा संगठन के कार्यकर्त्ता या स्थानीय नागरिक। आशा की जाती है कि अपने ग्राम एवं पंचायत को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने तथा इसे कायम रखने में स्वच्छाग्रही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। ODF के स्थायित्व एवं ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यान्वयन में सहयोग हेतु प्रति ग्राम एक स्वच्छाग्रही का योगदान प्राप्त किया जा सकता है, जिन्हें कार्य के उपरांत परिणाम आधारित प्रोत्साहन राशि नियमानुसार देय होगा।

1. स्वच्छाग्रही हेतु पात्रता अहर्ता :

i. स्वच्छाग्रही की आयु सीमा न्यूनतम 18 एवं अधिकतम 50 वर्ष श्रेयष्कर होगा ।

ii. स्वच्छाग्रही को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

iii. स्वच्छाग्रही की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम मैट्रिकुलेशन होना चाहिए।

iv. स्वच्छाग्रही, कार्य किए जाने वाले ग्राम का निवासी होना चाहिए।

v. वैसे स्वच्छाग्रही जिन्होंने CLTS / CAS विधि पर तीन या पाँच दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, ODF अभियान में कार्य करने का कम से कम एक साल का अनुभव हो, स्थानीय युवा क्लब / NGO के द्वारा स्वच्छता विषय पर कार्य अनुभव प्राप्त किया हो या स्वच्छता अभियान के निगरानी समिति में कार्य का अनुभव प्राप्त किया हो, उन्हें वरीयता दी जाएगी।

vi. स्वच्छाग्रही के पास यदि अपना स्मार्टफोन एवं दो पहिया वाहन (साईकिल या मोटर साइकिल) हो तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी ।

vii. महिलाओं को स्वच्छाग्रही के चयन में प्राथमिकता दी जाएगी ।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण में प्रत्येक राजस्व ग्राम हेतु एक स्वच्छाग्रही का चयन किया जाना है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के प्रथम चरण में चयनित (IMIS में दर्ज)

एवं कार्यरत (Active) स्वच्छाग्रहियों को उनके ग्राम हेतु चयन में प्राथमिकता दी जायेगी। शेष ग्रामों में स्वच्छाग्रही के चयन हेतु चयन प्रक्रिया प्रखंड परियोजना प्रबंधन इकाई (BPMU) द्वारा अपनायी जायेगी।

2. स्वच्छाग्रही के चयन संबंधी प्रक्रिया :

i. स्वच्छाग्रही के चयन हेतु प्रस्ताव वार्ड कार्यान्वयन प्रबंधन समिति (WMIC) अथवा ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) द्वारा किया जायेगा।

ii. संबंधित ग्राम हेतु स्वच्छाग्रही का चयन पात्रता के मापदंडों के आधार पर प्रखंड परियोजना प्रबंधन इकाई (BPMU) द्वारा किया जायेगा।

iii. स्वच्छाग्रही के चयन संबंधी अंतिम रूप से अनुमोदन जिला जल एवं स्वच्छता समिति (DWSC) द्वारा किया जाएगा एवं चयनित स्वच्छाग्रही का IMIS पर प्रविष्टि भी जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा किया जाएगा ।

3. स्वच्छाग्रही के कार्य संबंधित नियम एवं शर्तें :

i. स्वच्छाग्रही का कार्य पूर्णत: स्वैच्छिक होगा।

ii. स्वच्छाग्रही के रूप में कार्यरत किसी व्यक्ति का भविष्य में किसी पद के विरूद्ध समायोजन नहीं किया जाएगा एवं इस हेतु किसी प्रकार का दावा एवं आपत्ति मान्य नहीं होगा।

iii. स्वच्छाग्रही का कार्य, आवश्यकतानुसार एवं माँग के अनुरूप होगा तथा भुगतान, कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रखंड या ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा ।

iv. स्वच्छाग्रही द्वारा दी गयी सूचना में यदि किसी प्रकार की भ्रामकता अथवा चयनोपरांत गुमराह किए जाने की कोशिश की जाती है, अथवा यह पाया जाता है कि चयनित स्वच्छाग्रही सेवा के अनुरूप नहीं है अथवा किसी फर्जीवाड़ा मामले में संलिप्त है अथवा उस पर पूर्व से ही किसी प्रकार की वैधानिक / न्यायिक मामला चल रहा है / प्रक्रियाधीन है, के आलोक में स्वच्छाग्रही को तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त कर दिया जाएगा एवं भविष्य में कार्य नहीं लिया जाएगा ।

v. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की छवि को धूमिल करने संबंधी कृत्य, गोपनीय दस्तावेजों को लीक करने, किसी प्रकार का रिश्वत लेने, अमर्यादित व्यवहार करने आदि में संलिप्त पाये जाने की स्थिति में संबंधित स्वच्छाग्रही को तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त किया जाएगा एवं भविष्य में कार्य नहीं लिया जाएगा ।

4. **स्वच्छाग्रही द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप के लिए परिणाम आधारित प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु निर्धारित गतिविधियाँ :**

क्रम	उद्देश्य	गतिविधियाँ	आउटपुट	भुगतान
1	सभी को शौचालय की सुलभता सुनिश्चित करने हेतु व्यक्तिगत शौचालय निर्माण एवं उपयोग में सहायक की भूमिका।	• पंचायत में स्थित प्रत्येक ग्राम के शौचालय विहीन लक्षित घरों का सर्वेक्षण एवं सही तकनीक के साथ IHHL निर्माण एवं उपयोग हेतु परिवारों को तैयार करना। • घरों में शौचालय निर्माण	उचित तकनीक (दो गड्ढे युक्त सोख्ता शौचालय) के व्यक्तिगत शौचालय निर्माण एवं नियमानुसार सत्यापन के उपरान्त IMIS में प्रविष्टि के	शौचालय निर्माण के उपरान्त नियमानुसार जिओ-टैगिग एवं सत्यापन किये जाने के उपरांत Rs

		हेतु उपयुक्त जगह के चयन में सहयोग प्रदान करना। • दो गड्ढे युक्त सोख्ता शौचालय का ले आउट तैयार करना। • शौचालय निर्माण हेतु प्रशिक्षित राज मिस्त्री के साथ परिवार का संयोजन कराना। • परिवार को सोख्ता गड्ढे निर्माण तक प्रोत्साहित करते रहना। • शौचालय निर्माण में अन्य आवश्यक सहयोग प्रदान करना।	आधार पर।	150/- प्रति शौचालय देय होगा।
2	• **जागरूकता अभियान :** ODF का स्थायित्व एवं निरंतरता बनाए रखने के लिए समुदाय में जागरूकता अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना • **विशेष अभियान** के माध्यम से ग्राम को स्वच्छ दिखने में विभिन्न कार्यक्रम का संचालन करना ।	• घर-घर का दौरा एवं शौचालय का सतत् उपयोग के लिए परिवार के लोगों को प्रेरित करते रहना। • सामुदायिक शौचालय (CSC) उपयोग हेतु निर्धन एवं भूमिहीन परिवार को प्रेरित करना। • ODF-प्लस से सम्बंधित वॉल पेंटिंग एवं डिजिटल मीडिया के द्वारा महत्वपूर्ण सूचना का संचार सुनिश्चित करना। • संस्थागत (विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, PHC आदि) एवं सामुदायिक शौचालय का मरम्मत एवं सफाई । • ग्राम की ODF की स्थिति को यादगार बनाने हेतु राष्ट्रीय पर्व जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, स्वच्छता दिवस आदि का अनुपालन करना। • ग्राम में ODF की ब्रांडिंग	• खुले में शौच (O.D) नहीं देखा जाना । • दौरा किए गए घरों की वार्डवार अद्यतन सूची । • समुदाय के द्वारा शौचालय निर्माण एवं सतत् उपयोग किया जाना । • प्रत्येक कार्यक्रम का फोटो/विडियो सहित विवरण। • ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति। • कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों का फोटो, सेल्फी, विडियो साझा करना। • कार्यक्रम के पूर्व एवं पश्चात् अंतर को स्पष्ट करता हुआ फोटो तथा विडियो साझा करना।	राज्य / जिला द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के कार्यान्वन के आलोक में Rs 200 प्रति ग्राम। सम्बंधित कार्यक्रम महीने में अधिकतम एक बार प्रति ग्राम आयोजित किए जा सकेंगे।

		जैसे दिवार लेखन, ODF बोर्ड, ODF स्टेटस की घोषणा इत्यादि। • ग्राम सभा द्वारा पंचायत के ग्राम को ODF घोषित करने, ODF की सत्यता की जाँच करने एवं ODF-प्लस के विभिन्न घटक पर प्रस्ताव पारित कराने में सहयोग प्रदान करना। • विभिन्न वर्गों की निगरानी समिति के सदस्यों के साथ मिलकर खुले में शौच वाले स्थान पर सुबह एवं शाम की निगरानी द्वारा इसे स्वच्छ बनाये रखना । • हर महीने हर ग्राम में स्वच्छता अभियान का नेतृत्व कर ग्राम के टोला, गलियां, सड़कें, नालियां, बाजार आदि सार्वजनिक् जगहों की स्वैच्छिक श्रमदान द्वारा सफाई सुनिश्चित कराना । • बाल सेना एवं युवा क्लब की सहायता से ग्राम के जल श्रोत जैसे तालाब, पोखर, आहर आदि में श्रमदान आयोजित करा स्वच्छ बनाना ।		

3	विशेष अभियान के तहत ODF-प्लस हेतु सुचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) द्वारा व्यव्हार परिवर्तन एवं समुदाय की लामबंदी ।	• उच्च एवं मध्य विद्यालय के बच्चों के बीच स्वच्छ आदतों, जैसे- शौचालय का उपयोग, हाथ की सफाई, घर में स्थित ठोस एवं तरल अपशिष्ट को अलग अलग डस्टबीन में रखना, विद्यालय, घर एवं ग्राम की स्वच्छता में उनकी भूमिका इत्यादि विषयों पर कार्यशाला एवं "बाल सेना" का गठन। • शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु तन, मन एवं भाव की स्वच्छता का प्रशिक्षण। • चयनित बच्चों के साथ उनके घर, घर का दौरा एवं माता- पिता से मुलाकात। परिवार के सदस्यों को मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं साबुन से हाथ धोने के लिए प्रोत्साहित करना। • शाम को बच्चे, युवा, उनके अभिभावक एवं पंचायत प्रतिनिधि के साथ संध्या चौपाल का आयोजन एवं वार्ड / ग्राम की सम्पूर्ण स्वच्छता के लिए युवा क्लब / निगरानी समूह का गठन। • सुरक्षित पानी के रख-रखाव की जानकारी साझा करना। • सामाजिक दुरी बनाकर कार्यों का निपटारा करने के लिए प्रेरित करना।	• विद्यालय संचालित सम्पूर्ण स्वच्छता (SLTS), बाल सेना में शामिल बच्चों की सूची। • पंचायत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर-युक्त संध्या चौपाल की बैठक में पारित प्रस्ताव की सूची । • अलग-अलग वर्गों की निगरानी समिति के गठन की सूची एवं कार्यक्रम सम्बंधित बैठक का सेल्फी फोटो। • सुबह शाम की निगरानी द्वारा खुले में शौच की प्रथा को समाप्त कराना। • समूह बैठक, रात्रि चौपाल, प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम का सेल्फी फोटो।	राज्य / जिला द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के कार्यान्वयन के आलोक में अभियान के दौरान Rs. 200/- प्रति ग्राम ।

4	सामुदायिक शौचालय (CSC) का उपयुक्त जगह पर निर्माण, सतत् उपयोग, रख-रखाव एवं प्रबंधन।	• चयनित बसावट के घर-घर का दौरा एवं ODF स्थायित्व के लिए सामुदायिक शौचालय के उपयोग में लक्षित समुदाय की भूमिका का निर्धारण। • मानक एवं दिए गए मॉडल के अनुसार सामुदायिक शौचालय का प्रस्ताविक स्थल पर निर्माण एवं उसपर लाभुकों के नाम का अंकन। • ग्राम पंचायत के अंतर्गत चयनित बसावट के लोगों के बीच बैठक करा कर सामुदायिक शौचालय के उपयोग, रख- रखाव, एवं प्रबंधन से संबंधित आम सहमति से प्रस्ताव पारित कराने में सुगमकर्ता की भूमिका। • रख-रखाव प्रबंधन समिति का गठन एवं उनके दायित्वों का निर्धारण। • समुदाय की सहमति से पंचायत द्वारा रख-रखाव एवं प्रबंधन हेतु राशि का निर्धारण में सुगमकर्ता की भूमिका ।	• रख रखाव एवं प्रबंधन हेतू नियमावली युक्त पारित प्रस्ताव की प्रति। • प्रबंधन समिति के सदस्यों की सूची। • समुदाय द्वारा शौचालय के सतत उपयोग, रख रखाव एवं प्रबंधन पर आधारित केस स्टडी तैयार कर प्रखंड में भेजना। • सामुदायिक शौचालय का जिओ टैगिंग। • समुदाय द्वारा सामुदायिक शौचालय का निरंतर उपयोग किया जाना। • CSC का निरंतर साफ सफाई सुनिश्चित कराना।	CSC निर्माण के उपरांत 6 माह तक रख-रखाव एवं पूर्णतया उपयोग होने एवं संबंधित सामुदायिक स्वच्छता परिसर से स्वच्छाग्रही के जुड़ाव प्रमाणित होने के उपरांत Rs 200 प्रति CSC ।
5	शौचालय का जिओ-टैगिंग करना।	शौचालय का जिओ-टैगिंग पूर्ण करना।	जिओ-टैग्ड शौचालय का जिला से अनुमोदन ।	Rs. 5/- प्रति जिओ-टैग्ड शौचालय।
6	दूसरा सत्यापन (2nd Round of verification) एवं साथ ही हर घर के साथ पारस्परिक संवाद (IPC)	समुदाय की जागरूकता के साथ भागीदारी द्वारा ODF की निरंतरता सुनिश्चित कराने के लिए प्रत्येक घरों का दौरा एवं परिवार के सदस्यों के साथ पारस्परिक संवाद (IPC)।	• प्रखंड कार्यालय द्वारा सत्यापन कराने के लिए निर्गत पत्र की प्रति। • हर घर का ODF की निरंतरता का	सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर IMIS में प्रविष्टि के उपरांत Rs. 15/- प्रति घर।

			सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया जाना । • भ्रमण किए गए घरों की सूची।	
7	अकार्यरत शौचालय को कार्यरत शौचालय में रूपांतरण करवाना **या** पूर्व में निर्मित शौचालय का सही तकनीक के अनुसार पुनर्निर्माण (Retrofitting)	• पंचायत में स्थित अकार्यरत (टूटे-फूटे) व्यक्तिगत / संस्थागत शौचालय को चिन्हित करना एवं इसकी सूची का निर्माण कर प्रखंड कार्यालय को रिपोर्ट करना। • टूटे हुए शौचालय की सीट का मरम्मत, अवरुद्ध पाइप या जल प्रवाह के अवरुद्ध मार्ग की दुरुस्ती, टुटा हुआ दरवाजा, दिवार, छत इत्यादि की मरम्मत सुनिश्चित कराना। • चिन्हित घरों / विद्यालय / आंगनबाड़ी / PHC में जाकर अकार्यरत टूटे-फूटे शौचालय की मरम्मती सुनिश्चित करवाना। • एकल गड्ढा वाले शौचालय को दुसरे गड्ढे से आच्छादित कराना। • सेप्टिक टैंक शौचालय के साथ सोक पिट (सोखता गड्ढा) का निर्माण सुनिश्चित कराना।	• ग्राम के अकार्यरत शौचालय की सूची का निर्माण। • मरम्मत के पश्चात् कार्यरत शौचालय की सूची एवं सेल्फी फोटो। • मरम्मत के पूर्व एवं पश्चात् अंतर को स्पष्ट कराता सेल्फी फोटो की संख्या एवं IMIS पर प्रविष्टि। • ग्राम में एकल गड्ढा एवं सेप्टिक टैंक वाले शौचालय की सूची। • पुनर्निर्मित शौचालय की सूची एवं फोटो।	सत्यापन एवं IMIS के प्रविष्टि के उपरांत Rs. 25/- प्रति शौचालय।
8	पंचायत के ग्राम में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) में समन्वयक की भूमिका।	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर वार्ड सदस्य के साथ वार्ड सभा / बैठक आयोजन कराना एवं निम्नलिखित बिन्दुओं को सुनिश्चित कराना : I. वार्ड सभा की बैठक में SLWM के विभिन्न आयाम से लोगों को	• वार्ड सभा में शामिल लोगों की सूची एवं बैठक की फोटो के साथ कार्यवाही की प्रति। • वार्ड सभा से स्वीकृत कार्ययोजना की प्रति।	ग्राम में ठोस अपशिष्ट का उठाव प्रारंभ एवं आगामी तीन माह तक कार्यान्वित कराए जाने एवं कार्यक्रम में

		परिचित कराना एवं इसे सफल बनाने में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कराना । II. समुदाय को घरेलु स्तर पर सूखा एवं गीला अपशिष्ट को अलग अलग संग्रह के लिए प्रेरित करना। III. समुदाय एवं ग्राम पंचायत के सहयोग से सामुदायिक सोखता गड्ढा, कम्पोस्ट पिट, अजैविक अपशिष्ट संग्रह आदि के लिए उचित स्थान का चयन कराना। IV. मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन हेतु एक गड्ढे एवं सेप्टिक टैंक शौचालय को सही समय पर खाली करने के लिए सम्बंधित घरों की सूची तैयार करना। V. लोगों की सहभागिता से SLWM से सम्बंधित कार्ययोजना तैयार करना एवं इसे कार्यान्वयन करने के लिए समुदाय, ग्राम पंचायत एवं BPMU के बीच समन्वयक की भूमिका अदा करना।	• स्रोत पर ही गीला एवं सूखे अपशिष्ट का अलगाव सुनिश्चित होना । • एकल गडढे एवं सेप्टिक टैंक शौचालय का साफ-सफाई एवं रख-रखाव किए गए घरों की सूची। • इस सम्बन्ध में दैनिक कार्य में बदलाव या मात्रा का उल्लेख करते हुए अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराना। • ग्राम में निर्मित सामुदायिक सोख्ता गड्ढा, कम्पोस्ट गड्ढा, बायो गैस संयंत्र, अजैविक अपशिष्ट संग्रह निर्माण स्थल एवं निर्माण कार्य आदि की सूची एवं फोटो।	स्वच्छाग्रही के सहभागिता एवं जुड़ाव का सत्यापन के उपरांत Rs. 200/- प्रति ग्राम प्रति माह।

5. स्वच्छाग्रहियों के परिणाम आधारित प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतू आवश्यक सूचक :

i. स्वच्छाग्रही का नाम IMIS पर दर्ज होना चाहिए ।

ii. स्वच्छाग्रही कार्यरत ग्राम एवं पंचायत का निवासी होना चाहिए ।

iii. स्वच्छाग्रही के प्रोत्साहन राशि का भुगतान, उनके द्वारा एक माह में किए गए विभिन्न कार्यों का मासिक प्रतिवेदन एवं प्रखंड समन्वयक द्वारा सत्यापन के पश्चात् प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अगले माह के अधिकतम 10 तारीख तक किया जाएगा ।

iv. स्वच्छाग्रही का किसी भी प्रकार का बकाया भुगतान इस दिशा-निर्देश के निर्गत होने के बाद नहीं किया जाएगा ।

v. प्रोत्साहन राशि भुगतान से पूर्व स्वच्छाग्रही का नाम IMIS में उनके द्वारा किए गए कार्य से कम से कम एक माह पूर्व का होना चाहिए ।

vi. स्वच्छाग्रही का प्रोत्साहन राशि भुगतान उनके आधार नंबर के आधार पर किया जाएगा ।

vii. राज्य मुख्यालय के अनुमति के बिना किसी भी प्रकार से भुगतान नियम में परिवर्तन नहीं होगा ।

6. **स्वैछिक (Volunteer) स्वच्छाग्रही के लिए गैर आर्थिक प्रोत्साहन**

उपरोक्त सभी कार्यक्रम के सफल संचालन में सहयोग देने के लिए हर ग्राम में एक स्वैछिक (Volunteer) स्वच्छाग्रही हो सकते हैं जो स्वैछिक रूप से बिना प्रोत्साहन राशि लिए योगदान दे सकते हैं। इन्हें तथा इनके साथ निगरानी समूह के सदस्यों के उत्साहवर्धन के लिए टोपी, व्हिसिल एवं सम्मान वस्त्र प्रदान किया जा सकता है एवं विभिन्न स्तरों पर यथा- पंचायत, प्रखंड एवं जिला स्तर पर सम्मानित किया जा सकता है ।

7. **स्वच्छाग्रहियों के क्रियाकलाप के सफल संचालन हेतु अनुश्रवन की व्यवस्था**

स्वच्छाग्रही द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम को दिशा एवं गति प्रदान करने, समन्वय कायम रखने एवं उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य की समीक्षा के लिए हर महीने में एक बार प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में BPMU की बैठक प्रखंड समन्वयक द्वारा आयोजित की जाएगी । इसके अतिरिक्त हर तीन महीने में एक बार जिला पदाधिकारी / उपविकास आयुक्त की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक, जिला समन्वयक द्वारा आयोजित की जाएगी। इसके अनुसार ही स्वच्छाग्रहियों द्वारा जिले के विभिन्न प्रखंडों में किए जाने वाले कार्यों का अनुश्रवण एवं समीक्षा होगा । समीक्षात्मक बैठक में दिए गए कार्य के अनुरूप संतोषजनक प्रदर्शन न करने वाले एवं आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्यक्रमों में समय नहीं दिये जाने के आलोक में, उनके स्थान पर नए स्वच्छाग्रही का चयन किया जा सकेगा ।

'स्वच्छाग्रही' कोई पद नहीं है एवं स्वच्छाग्रही के रूप में किए जाने वाला कार्य पूर्णत: संबंधित ग्राम या ग्राम पंचायत में स्वच्छता से संबंधित कार्य के माँग पर आधारित होगा तथा उपरोक्त वर्णित निदेश स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के द्वितीय चरण के समाप्ति के साथ स्वत: समाप्त हो जाएगा। स्वच्छाग्रही का कार्य पूर्णत: स्वैच्छिक होगा एवं स्वच्छाग्रही के रूप में कार्यरत किसी व्यक्ति का भविष्य में किसी पद के विरूद्ध समायोजन नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु किसी प्रकार का दावा एवं आपत्ति मान्य नहीं होगा।

यह निदेश स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण / लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान हेतु तत्काल प्रभाव से लागु होगा एवं स्वच्छाग्रही से संबंधित निर्गत पूर्व के सभी निदेश स्वत: रद्द समझे जायेंगे।

26/11/2020

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
सह
मिशन - निदेशक
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

23/11/2020